

प्रश्न सं. [क. 4062]

मध्यप्रदेश शासन

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, भोपाल.

क्रमांक: 333 /384/13/62.

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल, 2015.

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश।
3. समस्त जिला संयोजक, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।

विषय:- अशासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत एमबीबीएस, बीडीएस, इंजीनियरिंग, नर्सिंग पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्रवेश एवं मासिक शुल्क की प्रतिपूर्ति के संबंध में। (मान. मुख्यमंत्रीजी की घोषणा क्रमांक: ए-3546)

---0:0:0---

कृपया उपरोक्त विषयक मान. मुख्यमंत्रीजी की घोषणा:ए-3546, के संबंध में आदिम जाति कल्याण विभाग के जारी आदेश क्र:एफ 12-15/13/25-2/2014, दिनांक 11.09.2013 को प्रभावशील की गई है। अतः उक्त योजनांतर्गत विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति की अधिसूचित 51 जातियों के कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया तथा वर्ष 2014-15 में कितनी राशि व्यय की गई।

2. उक्त जानकारी 3-दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराते हुए, की गई कार्यवाही से विभाग एवं संचालनालय, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति विकास को अवगत कराने का कष्ट करें।

(पी.के. ठाकुर)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़

जनजाति कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल, 2015.

पृ. क्रमांक:- 334 /384/13/62.

प्रतिलिपि:-

1. उप संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति विकास संचालनालय, भोपाल की ओर प्रकरण में की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति संबंधित जिलों से प्राप्त कर, एकजाई जानकारी शीघ्र प्रस्तुत करें।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
विमुक्त, घुमक्कड़ एवं
अर्द्धघुमक्कड़ कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़

जनजाति कल्याण विभाग